अफर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामेश्वर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– दावा

मु0नं0– 43/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 01 आदेश 10 जा0 दी 0 का जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वे अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 03 की पत्थरगढी करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि में पडोसी खातेदारान है जो पत्थरगढी कार्यवाही रोककर प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहत है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियत 10 जा0दी0 खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोरधन गुर्जर द्वारा निवेदन किया कि वे पडोसी खातेदार होने के कारण पत्थरगढी की कार्यवाही से प्रभावित है इसलिए उनको पक्षकार बनाया जावे। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सीमाज्ञान रिपोर्ट तथा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 03 वाके रामा रामगढ के पत्थरगढी बाबत अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा बहस से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 खारिज कर प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रामगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 03 में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	